न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी—देवेन्द्र कुमार
आई0ए0एस0

नामा0 अपील सं0 98/2008

सुनीता पुत्री पूरणचंद पत्नि श्रवण कुमार जाति मीना सैंथल मोड, मीना कॉलोनी, दौसा हाल निवासी चक गेटोर खेडा प्रतापनगर सांगानेर, जयपुर

सुरेश पुत्र पूरण जाति मीना निवासी ओसवाल पेट्रोल पम्प के सामने, आदर्श मीना कॉलोनी, दौसा जिला दौसा राज0 अपीलांट (फोत)
1/1 देवकी मीना पत्नि सुरेश चन्द मीना
1/2 वंशिका मीना पुत्री सुरेश चन्द मीना नाबालिग
1/3 अंकित मीना पुत्र सुरेश चन्द मीना
1/4 मानसी मेवाल पुत्री सुरेश चन्द मीना नाबालिग
समस्त जाति मीना निवासी सैंथल मोड, आदर्श मीना कॉलोनी, दौसा जिला दौसा राज.
..अपीलांट्स

बनाम

1. शान्ति बेवा पूरण चंद
2. सुरेश पुत्र पूरण चंद (फोत)
   2/1 देवकी मीना पत्नि सुरेश चन्द मीना
   2/2 वंशिका मीना पुत्री सुरेश चन्द मीना नाबालिग
   2/3 अंकित मीना पुत्र सुरेश चन्द मीना
   2/4 मानसी मेवाल पुत्री सुरेश चन्द मीना नाबालिग
3. धन्नी पुत्री पूरणचंद
4. अनिता पुत्री पूरण चंद
   समस्त जाति मीना निवासी सैंथल मोड, मीना कॉलोनी, दौसा जिला दौसा
..रेस्पो0

अपील विरूद्ध नामान्तरण संख्या 420 दिनांक 25.7.1998 खाता संख्या 565, 275 तहसीलदार (नायब तहसीलदार दौसा)

उपस्थित—1. श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा, अधिवक्ता अपीलांट्स की ओर से
2. श्री सुनील कुमार शर्मा, अधिवक्ता रेस्पों. सं. 4 की ओर से।

दिनांक:26.03.2025

<u>निर्णय</u>

1. संक्षिप्त वृतांत अपील इस प्रकार है कि तहसीलदार, नायब तहसीलदार दौसा ने दिनांक 25.7.1998 को ग्राम दौसा कलां का नामान्तरण सं0 420 दिनांक 25.7.1998 विरासत का तस्दीक कर दिया गया। इसी नामान्तरण से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।
2. अपील दर्ज रजिस्टर की गई, रेस्पोन्डेन्ट को तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख मंगवाया गया। अधिवक्ता अपीलांट्स व राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गई।
3. सर्वप्रथम दफा 5 कानून मियाद के प्रार्थना पत्र पर बहस अधिवक्तागण की सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट्स ने दफा 5 के प्रा0पत्र पर बहस में कथन किया कि प्रश्नगत नामान्तरण की कार्यवाही में अपीलांट को सुनवाई का कोई नोटिस नहीं दिया गया। अधीनस्थ्क तहसीलदार द्वारा उक्त नामान्मरण एकतरफा में तस्दीक किया गया है। अपीलांट को उक्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 11:18:51 IST
Reason: SelfAttested
सत्यमेव जयते Web Copy - Not Official

जिला कलेक्टर,दौसा

नामान्तरण की जानकारी दिनांक 22.7.2008 को पटवारी हल्का के कहने पर हुई है। जिस पर नकल का प्रार्थना पत्र पेश किया जिसकी दिनांक 22.7.2008 को नकल प्राप्त हुई। अपील जानकारी से अंदर मियाद प्रस्तुत की जा रही है। अतः अपील पेश करने में हुई देरी को क्षमा कर अपील अंदर मियाद शुमार फरमाई जावे। अधिवक्ता रेस्पों. एवं राजकीय अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि अपीलांट अत्यधिक विलंब से पेश की गई है। अपीलांट्स को उक्त नामान्तरण की पूर्व से जानकारी थी। अतः अपील मियाद के बिन्दु पर खारिज फरमाई जावे। अधिवक्ता अपीलांट्स एवं राजकीय अधिवक्ता ने मियाद के बिन्दु पर कथन किया कि अपीलांट को विवादित नामान्तरण की शुरू से ही जानकारी थी। अतः अपील को मियाद के बिन्दु पर ही खारिज फरमाई जावे। राजकीय अधिवक्ता व अधिवक्ता अपीलांट व रेस्पों. सं0 2 से 4 की दफा 05 के प्रा.पत्र सुनी गई बहस पर मनन किया गया। प्रा0पत्र एवं शपथ पत्र का अवलोकन किया गया। अपीलांट द्वारा अपील जानकारी से अंदर मियाद पेश की गई है। डिले कन्डोन किया जाकर अपील की सुनवाई किया जाना न्यायोचित है। अतः धारा 5 कानून मियाद स्वीकार किया जाता है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

4. तत्पश्चात मूल अपील पर बहस अधिवक्तागण सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में दलील दी कि आराजी खसरा नंबर 372, 373, 858 से 860, 918, 919, 920, 1028 कुल किता 9 रकबा 2.67 है0 भूमि का सम्मत 2052 से 2055 तक खाता संख्या 565 है व मौजूदा खाता संख्या 275 की खातेदारी के खसरा नम्बर 372, 373, 860, 918, 919 कुल किता 5 कुल रकबा 1.52 ऐयर भूमि वाके ग्राम कस्बा दौसा कला मे स्थित है । उक्त भूमि के सवंत 2052 से जगदीश 2055 तक नाथूलाल जगदीश व अपीलान्ट के पिता पूरण चन्द, रामकरण पिसरान रामपाल भूरी देवी बेवा रामपाल के नाम खातेदारी थी । प्रार्थीनी के पिता पूरण चन्द के फोत होने के कारण नाथू लाल जगदीश प्रसाद रामकरण पिसरान रामपाल व भूरी बेवा रामपाल का हिस्सा 4/5 व रेस्पोडेन्ट का हिस्सा 1/5 के नाम नामन्तरण संख्या 420 दिनांक 25/7/98 को तहसीलदार दौसा द्वारा नामान्तरण तस्दीक किया गया । उक्त नामान्तरण् मे नाथूलाल जगदीश प्रसाद रामकरण व भूरी देवी का नाम 4/5 हिस्सा खोल दिया गया था उससे अपीलान्ट का कोई एतराज नही है क्योंकि उसका हिस्सा भूमि 4/5 था लेकिन नामान्तरण संख्या 420 के जरिये रेस्पोंडेंट का नामान्तकरण अकेले के नाम हिस्सा 1/5 कर दर्ज कर दिया गया है जो गलत है। नामान्तकरण संख्या 420 दिनांक 25/7/2008 विधि एवम प्रक्रिया के विरुद्ध होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय ने रिकार्ड पर उपलब्ध साक्ष्य एवम दस्तावेजात का सही प्रकार से अवलोकन नही करने में कानूनी गलती की है इसलिये भी निर्णय अदालत मातहत निरस्त किये जाने योग्य है । मृतक पूरण चन्द ने व रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 सुरेश चन्द के पिता ने प्रार्थीनी के पिता पूरण चन्द ने अपने जीवन काल मे दूसरा विवाह किया गया था। प्रार्थनी के पिता की जो पहले शादी हुयी थी उसकी पत्नी का नाम गोबिन्दी देवी था। गोबिन्दी देवी व अपीलांट के पिता पूरण चन्द के एक लड़का रेस्पोडेन्ट नम्बर 2 सुरेश चन्द्र व अपीलान्ट पैदा हुये । मृतक पूरण चन्द की मृत्यु दिनांक 30/6/96 को हो गयी मृतक पूरण चन्द्र ने मृत्यु पूर्व अपीलान्ट को रेस्पोडेन्ट सुरेश वाद को पाला पोसा पढाई लिखाई करवायी व मूतक पूरण चन्द ने ही अपीलान्ट की शादी अपने जीवन काल मे श्रवण कुमार से की। इसका स्पष्ट अर्थ है कि अ[illegible] सुरेश चन्द मृतक पूरण चन्द व उसकी पूर्व पत्नी गोबिन्दी देवी के खास [illegible] भी स्वर्गवास हो चुका है । इस कारण मृतक पूरण चन्द [illegible] शान्ति देवी से दूसरी शादी कर ली व शान्ति देवी व पूरण चन्द के दूसरी पुत्री धन्नी व अ[illegible] पैदा हुयी इसी आधार पर मृतक पूरण चन्द के अपीलान्ट सुनिता देवी धन्नी देवी व अनिता तीन लड़की पैदा हुयी व एक लड़का सुरेश चन्द रेस्पोडेन्ट नम्बर 2 पैदा हुआ। गोबिन्दी देवी का स्वर्गवास हो गया इस कारण मृतक पूरण चन्द के अपीलान्ट व रेस्पोडेक्ट नम्बर । ला. 4 ही वारिसान थे। पूरण चन्द की मृत्यु

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 11:18:51 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, दौसा

के पश्चात उक्त भूमि मे पूरण चन्द के स्थान पर अपीलान्ट का नाम व रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 लगायत 4 के नाम खातेदारी मे दर्ज होना चाहिये था। लेकिन उक्त नामान्तरण मे रेस्पोडेन्ट का नाम दर्ज कर दिया गया व अपीलान्ट का नाम दर्ज नही किया गया इसलिये भी उपरोक्त नामान्तकरण निरस्त होने योग्य है। विवाद ग्रस्त भूमि व सम्पत्ति अपीलान्ट के पिता पूरण चन्द की सम्पत्ति थी अपीलान्ट पूरण चन्द की सम्मति मे जन्म से ही अधिकार रखती थी। क्योकि उक्त भूमि पूरण चन्द्र की स्वअर्जित सम्पत्ति नही थी। बल्कि उसे भी उक्त भूमि उसके पिता रामपाल पुत्र नन्दा की सम्पत्ति होने के कारण उसके नाम विरासत का नामान्तरण पूरण के नाम दर्ज किया गया है व पूरण चन्द की मृत्यु के पश्चात अपीलान्ट का नाम भी उक्त नामान्तरण मे विरासत के आधार पर दर्ज किया जाना कानूनन आवश्यक था। क्योकि अपीलान्ट मृतक पूरण चन्द की जायन्दा लड़की है। व सुरेश चन्द की सगी बहिन है । इसलिये उक्त नामान्तरण मे अपीलान्ट का नाम रेस्पोडेन्ट के साथ दर्ज किया जाना आवश्यक था। इसलिये भी निर्णय अधीनस्थ अदालत निरस्त किये जाने योग्य है । अपीलान्ट का हिस्सा 4/5 के खातेदार नाथूलाल जगदीश प्रसाद रामकरण भूरी देवी से कोई विवाद नही है उनके विरुद्ध कोई याचना भी नही की गई है । केवल मात्र रेस्पोडेन्ट के विरुद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है। क्योकि पूरण चन्द के हिस्से मे ही अपीलान्ट का हिस्सा आता है इसलिये नामान्तरण की अपील में उन्हें ही पक्षकार बनाकर अपील प्रस्तुत की जा रही है । मृतक पूरण चन्द का सजरा भी गलत बनाया गया है जिसमे अपीलान्ट का नाम दर्ज नहीं किया गया है। जबकि वास्तव में अपीलान्ट मृतक पूरण चन्द की पुत्री है। रेस्पोंडेंन्ट सुरेश की खास बहिन है पूरण चन्द की वारिसान है उसके नाम भी नामान्तकरण बोला जाना आवश्यक था। इसलिये भी निर्णय अधीनस्थ अदालत निरस्त किये जाने योग्य है । अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को नामान्तरण बोलने से पूर्व कोई नोटिस जारी नही किया गया है। अपीलान्ट की गैर हाजरी मे उक्त नामान्तरण तस्दीक किया गया उसका हिस्सा 4/5 के खातेदार नाथूलाल जगदीश प्रसाद रामकरण व भूली देवी को भी कोई नोटिस जारी नहीं किया गया अपीलान्ट का कोई सुनवायी का अवसर नही दिया गया। ी उक्त नामन्तिकरण निरस्त होने योग्य है । यह है कि नामान्तकरण तव्या 420 दिनांक 25/7/98 की कोई जानकारी अपनान्ट का पूर्व मे नही थी । क्योकि अधिनस्थ न्यायालय ने कोई न जारी नही किया गया। एक तरफा ने उक्त नामान्तकरण तस्दीक कर दिया गया। जिसकी जानकारी नही थी। इसलिये पूर्व मे उक्त नामाकरण की अपील प्रस्तुत नही की गई। अपीलांट को अधिनस्थ न्यायालय मे पक्कार नहीं बनाया गया था। लेकिन अपीलांट पूरण चन्द्र की जायन्दा पुत्री है एवं सुरेश चन्द्र की बहिन है। मृतक पूरण चन्द की वारिसान है। इसलिये यह अपील, प्रस्तुत करने का अधिकार रखती है। इसलिये धारा 96 सी. पी. सी. के तहत प्रार्थना पत्र अपील पेश करने के लिये अलग से प्रस्तुत किया जा रहा है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर तहसीलदार दौसा नायब तहसीलदार दौसा का नामान्तरण सं0 420 दिनांक 25.7.1998 को निररस्त फरमाया जाकर अपीलांट का नाम उक्त नामान्तरण में दर्ज करने के आदेश फरमावें।

5. अधिवक्ता रेस्पों. सं0 1 ने बहस में अपीलांट व रेस्पों. सं0 1 एवं पक्षकारों में मिल बैठकर राजीनामा कर लिया है। क्योंकि मुकदमेबाजी से रंजिश बढती है। उक्त राजीनामा लोक अदालत की भावना से किया गया है। जमाबंदी संवत 2056 से 2059 में जो खसरा नंबर 372, 373 858 से 860, 918 से 920, 1 ... किता 9 रकबा 2.67है. है जिसका नामान्तरण संख्या 420 खोला गया है उसमें शांति बेवा पूरण, सुरेश पुत्र पूरण, धन्नी, अनिता पि0 पूरणमल के नाम नामान्तरण खोला गया है उक्त नामान्तरण में सुनीता का नाम सहवन से रहा गया था। सुनीता मृतक पूरण की पुत्री है व पूरण के वारिसान में सुनीता का नाम दर्ज करने से रह गया था। इसलिए उक्त नामान्तरण की अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई थी। जमाबंदी में व नामान्तरण सं0 420 में शांति बेवा पूरणमल, सुरेश पुत्र पूरणमल,

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 11:48:51 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

जिला कलेक्टर, दौसा

धन्नी, अनिता पि.पूरणमल के साथ पूरणमल की पुत्री सुनीता का नाम नामान्तरण में जोड दिया जावे तो उसमें शांति देवी को कोई एतराज नहीं है।

6. उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया।

7. पत्रावली का अवलोकन किया गया।

- अपील में प्रार्थी द्वारा मुख्य विवाद इस बिन्दु पर है कि नामान्तरण सं0 420 दिनांक 25.7.1998 को खोला गया था उसमें विवादित आराजी में समस्त रेस्पो0 जो कि पूरण चंद पुत्र रामपाल के वारिस है, के नाम हिस्सा 1/5 हिस्से का नामान्तरण दर्ज किया गया है। जबकि अपीलांट भी पूरण चंद पुत्र रामपाल की पुत्री है एवं उनका हिस्सा उक्त आराजी में उत्तराधिकारी के रूप में बनता है।
- पत्रावली में शांति पत्नि पूरणमल का राजीनामा प्रस्तुत है जिसमें उनके द्वारा अपील स्वीकार की जाकर पूरणमल के वारिसान के साथ सुनीता पुत्री पूरणमल का नाम भी जोडे जाने पर अपनी स्वीकृति प्रदान की है। वहीं सुरेश की वारिसान उसकी पत्नि देवकी मीणा द्वारा दिनांक 11.2.2025 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सुनीता को मृतक पूरण की पुत्री होने के कारण उसके नाम नामान्तरण दर्ज करने हेतु सहमति प्रदान की है। अतः हमारे समक्ष यह तथ्य स्पष्ट है कि सुनीता, पूरणचंद की पुत्री है।
- विवादित खसरों के संबंध में स्थिति इस प्रकार है: कि खसरा नंबर 372, 373, 860, 918 व 919 कुल रकबा 1.52है. भूमि पक्षकारान के नाम खातेदारी दर्ज रिकार्ड है एवं खसरा नंबर 858, 859, 920, 1028 कुल रकबा 1.15 है. नगरपरिषद दौसा रूपांतरित भूमि 90 ए गै0मु0 आबादी दर्ज रिकार्ड है। जहॉ तक जो खसरे रूपांतरित होकर गै0मु0 आबादी के रूप में नगरपरिषद दौसा के नाम है तो चूंकि उक्त भूमि कृषि भूमि नहीं रही अतः उनके संबंध में इस न्यायालय द्वारा आदेश पारित नहीं किया जा सकता है। ना ही नगरपरिषद को पक्षकार बनाया गया है। शेष खसरे जो वर्तमान में खातेदारी दर्ज है उनमें सुनीता का हक पूरणचंद पुत्र रामपाल की पुत्री के रूप में निर्धारित किया जाता है।

8. उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है। अपीलाधीन नामान्तरण संख्या 420 दिनांक 25.7.1998 के संबंध में तहसीलदार दौसा को आदेशित किया जाता है कि इस निर्णय के परिप्रेक्ष्य में एवं नामान्तरण सं0 420 दिनांक 25.7.1998 की निरन्तरता में सुनीता का पूरणचंद की पुत्री के रूप में हक निर्धारित करते हुए खसरा नंबर 372, 373, 860, 918, 919 कुल रकबा 1.52है. के संबंध में नवीन नामान्तरण दर्ज करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ठ लेख भंडार हो। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावे।

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 26 मार्च, 2025 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया। इस निर्णय की अपील सक्षम न्यायालय में नियत समयावधि के भीतर की जा सकेगी।

Signature Not Verified

Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 11:18:51 IST
Reason: SelfAttested

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official